



Neutral Citation No. - 2026:AHC:39379

उच्च न्यायालय, इलाहाबाद

रिट - सी संख्या 6601/2026

राजधर और अन्य

.....याचिकाकर्ता(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य और 5 अन्य

.....प्रत्यर्थी(गण)

याचिकाकर्ता(गण) के अधिवक्ता	: कृपा शंकर शुक्ला, विकास शुक्ला
प्रत्यर्थी(गण) के अधिवक्ता	: सी.एस.सी.

न्यायालय संख्या- 6

माननीय न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया

1. याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता और राज्य के विद्वान स्थायी अधिवक्ता उपस्थित हैं।
2. वर्तमान में पारित किए जाने वाले प्रस्तावित आदेश के दृष्टिगत, विपक्षी पक्ष को नोटिस देने और इस याचिका को इस न्यायालय के समक्ष लंबित रखने से कोई उपयोगी प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा। तथापि, यदि विपक्षी पक्ष इस आदेश से व्यथित हो तो उसका आदेश में संशोधन/परिवर्तन की प्रार्थना करने का अधिकार सुरक्षित रखा जाता है।
3. वर्तमान याचिका में याचिकाकर्ताओं द्वारा मांगा गया मूल अनुतोष यह है कि प्रत्यर्थी संख्या 3/उप-जिलाधिकारी, ज्ञानपुर, जिला भदोही को दिनांक 18.10.2024 को याचिकाकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन पर उचित आदेश पारित करने का निर्देश दिया जाए। इस संदर्भ में याचिकाकर्ताओं के विद्वान अधिवक्ता ने अपर आयुक्त (प्रशासन), विंध्याचल मंडल, मिर्जापुर द्वारा दिनांक 08.12.2022 को प्रत्यर्थी संख्या 3 को लिखे गए पत्र पर भी आधार लिया है। उसकी छायाप्रति वर्तमान रिट याचिका के साथ अनुलग्नक संख्या 4 के रूप में संलग्न है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



4. उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया तथा अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन किया गया।

5. वाद के तथ्यों और परिस्थितियों तथा न्याय के हित में, रिट याचिका इस निर्देश के साथ निस्तारित की जाती है कि याचिकाकर्ता अपनी समस्त शिकायतों को उद्धृत करते हुए और दिनांक 08.12.2022 के पत्र की छायाप्रति सहित सुसंगत कागजात और दस्तावेज़ संलग्न करते हुए नया अभ्यावेदन प्रस्तुत करें। यदि उक्त आवेदन आज से तीन सप्ताह के भीतर दायर किया जाता है तो प्रत्यर्थी संख्या 3 समस्त संबंधित पक्षकारों को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् दो माह की अवधि के भीतर शीघ्रतापूर्वक विधि के अनुसार उचित आदेश पारित करेंगे।

18 फ़रवरी, 2026

विनोद

(न्यायमूर्ति प्रकाश पाड़िया)